# फर्द अहकाम

सरकार बनाम सुवालाल

1997/00014 / 20

| दिनाक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 29/2/24 | पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/5/24 को पेश हो। | |
| 29/5/24 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार उप० नहीं। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वाके ग्राम मुहाना मे स्थित साबिक ख०न० 697/1521 से 1325/1521 बना तथा बक्त भू-प्रबन्ध द्वारा 1325/1521 से हाल ख०न० 2421 रकबा 0.10 हे० बना है जो जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 2028 मे सिवाय चक दर्ज रिकार्ड थी। भू-प्रबन्ध विभाग ने सैटलमेन्ट के दौरान मिसल बन्दोबस्त दिनांक 1 जुलाई 1989 से 20 जून 2009 के मुताबिक खाता संख्या 317 मे ख०न० 2421 रकबा 1.84 हे० सुवालाल पुत्र लक्ष्मा कौम बागडा ब्राह्मण सा० देह खातेदार दर्ज कर दी गई। भू-प्रबन्ध विभाग को सेटलमेन्ट के दौरान पूर्व प्रविष्टियों को दोहराना चाहिए था जबकि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा राजकीय सिवाय चक भूमि को सुवालाल पुत्र लक्ष्मा कौम बागडा ब्राह्मण सा० देह खातेदार दर्ज कर दिया है। जिसे हम दुरस्त करना उचित समझते है अत: प्रार्थी राज० सरकार जरिए तहसीलदार सांगानेर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि हाल जमाबन्दी ग्राम मुहाना सम्वत् 2027-2077 के खाता संख्या 339 ख०न० 2461 रकबा 1.84 हे० मे दर्ज खातेदारो का नाम कलमजन किया जाकर [illegible] निर्णय की प्रति तहसीलदार [illegible] को पालनार्थ [illegible] रिकार्ड [illegible] नम्बर से [illegible] | |

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:47:31 IST
Reason: SelfAttested